

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 349/2018

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 गोमा 2 खेता 3 थाना पिसरान पूनमा 4 डालू 5 खेराज विसरान गोकला 6 सांवला 7 रूखिया उर्फ रूखमणा पिसरान नरीगा जाति जाट निवासी सारणों का तला, जाखडों का तला तहसील व जिला बाडमेर।		1 भीखाराम 2 हीराराम 3 विराराम 4 पुरखाराम 5 हनुमानराम पिसरान कानाराम 6 धाई देवी पत्नी कानाराम जाति जाट निवासी सारणों का तला, जाखडों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर 7 जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा सनावडा 8 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 RTA Act.

उपस्थिति :- 1. श्री बलवन्तसिंह चौधरी, वकील वादी पक्ष।

निर्णय

दिनांक 21.01.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि इस न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 52/2016 अनवान गोमा बनाम भीखाराम में दिनांक 25.05.2017 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकरी जारी कर तहसीलदार बाडमेर को वादग्रस्त भूमि के मौके पर कब्जा काशत अनुसार विभाजन प्रस्ताव उपलब्ध करवाने हेतु कमीश्नर नियुक्त किया गया था। वादीगण की ओर से वकील श्री बलवन्तसिंह चौधरी उपस्थित। प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए।

इस न्यायालय के आदेश दिनांक 25.05.2017 द्वारा हस्तगत प्रकरण में वादी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया गया था तहसीलदार बाडमेर से मौके पर कब्जा काशत अनुसार विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। तहसीलदार बाडमेर द्वारा पत्रांक भूअ/2018/910 दिनांक 25.05.2018 द्वारा विभाजन प्रस्ताव उपलब्ध करवाया।

अतः तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मद्देनजर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौजा सारणों का तला तहसील व जिला बाडमेर में स्थित खेत खसरा संख्या 821, 727 व 801 कुल रकबा 52.07 बीघा भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 06 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा का विभाजन कर लगान का निर्धारण निम्नप्रकार किया जाता है :-


क्र. सं.	नाम खातेदारान	खसरा संख्या	रकबा (बीघा में)	किस्म	लगान	बरंग
1	गोमाराम, खेताराम, थानाराम पिसरान पूनमाराम, सांवलाराम रूखमणाराम पिसरान नरीगाराम डालूराम, खेराजराम पिसरान गोकलाराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन सांवलाराम का हिस्सा आरएमजीवी शाखा सनावडा	721	23.15	बा.दो. बा.दो. गै.मु. टांका	01.42	गुलाबी
		727	01.08		0.08	
		801	01.01		-	
		3	26.04	-	1.50	
2	भीखाराम हीराराम वीराराम पुरखाराम हनुमानराम पिसरान कानाराम धाई पत्नी कानाराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन भीखाराम का हि. आरएमजीवी शाखा सनावडा	721	26.03	बा.दो.	01.57	हरा




सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। नक्शा में तरमीम करावें। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। अन्तिम डिकरी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह आज तारीख 21.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(नीरज मिश्र) ·
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाडमेर

निर्णय आज दिनांक 21.01.2019 को सरें इजलास सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाडमेर
(SDO) बाडमेर



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.)

अन्तिम डिक्री

अनवान

वादीगण
1 गोमा 2 खेता 3 थाना पिसरान
पूनमा 4 डालू 5 खेराज विसरान
गोकला 6 सावला 7 रुखिया उर्फ
रुखमणा पिसरान नरीगा जाति जाट
निवासी सारणों का तला, जाखडों
का तला तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण
1 भीखाराम 2 हीराराम 3 विराराम
4 पुरखाराम 5 हनुमानराम पिसरान
कानाराम 6 धाई देवी पत्नी कानाराम
जाति जाट निवासी सारणों का तला,
जाखडों की ढाणी तहसील व जिला
बाड़मेर 7 जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा
सनावडा 8 तहसीलदार बाड़मेर।

दावा बाबत 88, 188 व 53 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 349/2018

निर्णय दिनांक :- 21.01.2019

वकील वादीगण उपस्थित एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21.01.2019 को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया तहसीलदार बाड़मेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मद्देनजर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौजा सारणों का तला तहसील व जिला बाड़मेर में स्थित खेत खसरा संख्या 821, 727 व 801 कुल रकबा 52.07 बीघा भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 06 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा का विभाजन कर लगान का निर्धारण निम्नप्रकार किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान	खसरा संख्या	रकबा (बीघा में)	किस्म	लगान	बरग
1	गोनाराम, खेताराम, थानाराम पिसरान	721	23.15	बा.दो.	01.42	गुलाबी
	पूनमाराम, सावलाराम रुखमणाराम	727	01.08	बा.दो.	0.08	
	पिसरान नरीगाराम डालूराम,	801	01.01	गै.मु. टाका	-	
	खेराजराम पिसरान गोकलाराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन सावलाराम का हिस्सा आरएमजीवी शाखा सनावडा	3	26.04	-	1.50	
	भीखाराम हीराराम वीराराम पुरखाराम हनुमानराम पिसरान कानाराम धाई देवी पत्नी कानाराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन भीखाराम का हि. आरएमजीवी शाखा सनावडा	721	26.03	बा.दो.	01.57	हरा

तहसीलदार बाड़मेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावे। नक्शा में तस्वीर करवावे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। अन्तिम डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह आज तारीख 21.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(नीरज मिश्र)

पीठासन अधिकारी
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड) बाड़मेर
(एसडीओ)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शा के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	